सत्यमेव जयते

## जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार
## (विधान मंडल सहित)

# बजट का सार

## 2024-2025

जुलाई, 2024

## वित्त विभाग
## बजट प्रभाग

# बजट: 2024-25

## तालिका 1: बजट एक नजर में

(करोड़ रु. में)

| | मद | 2022-23 (पूर्व-वास्तविक) | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|---|
| **क.** | राजस्व प्राप्तियां | 68976 | 106061 | 84603 | 98719 |
| **ख.** | राजस्व व्यय | 62999 | 77009 | 76155 | 81486 |
| | **राजस्व अधिशेष (क-ख)** | **5977** | **29052** | **8448** | **17233** |
| **ग.** | पूंजी प्राप्तियां | 8689 | 12439 | 23594 | 19671 |
| **घ.** | पूंजी व्यय | 14666 | 41491 | 32042 | 36904 |
| | **पूंजीक/गघाटा (ग-घ)** | **-5977** | **-29052** | **-8448** | **-17233** |
| **ड.** | कुल व्यय | 77665 | 118500 | 108197 | 118390 |
| **च.** | कुल प्राप्तियां | 77665 | 118500 | 108197 | 118390 |
| **छ.** | **राजकोषीय घाटा** | **5975** | **3913** | **13122** | **7902** |
| **ज.** | **जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा *** | **2.62** | **1.60** | **5.36** | **3.00** |
| **झ.** | **गैर-वित्तोषित /अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन** | **0** | **0** | **0** | **0** |

'-' चिह्न घाटे को दर्शाता है

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एआरएम सहित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% होगा जो आरई 2023-24 में 5.36% था। राजकोषीय घाटा जो पिछले वर्षों में बहुत अधिक था, केंद्रीय हस्तांतरण के उच्च स्तर के कारण एफआरबीएम सीमा के भीतर लाया गया है।

## रु.जहां से आता है।
**(2024-25)**

**ग्राफ : 1**

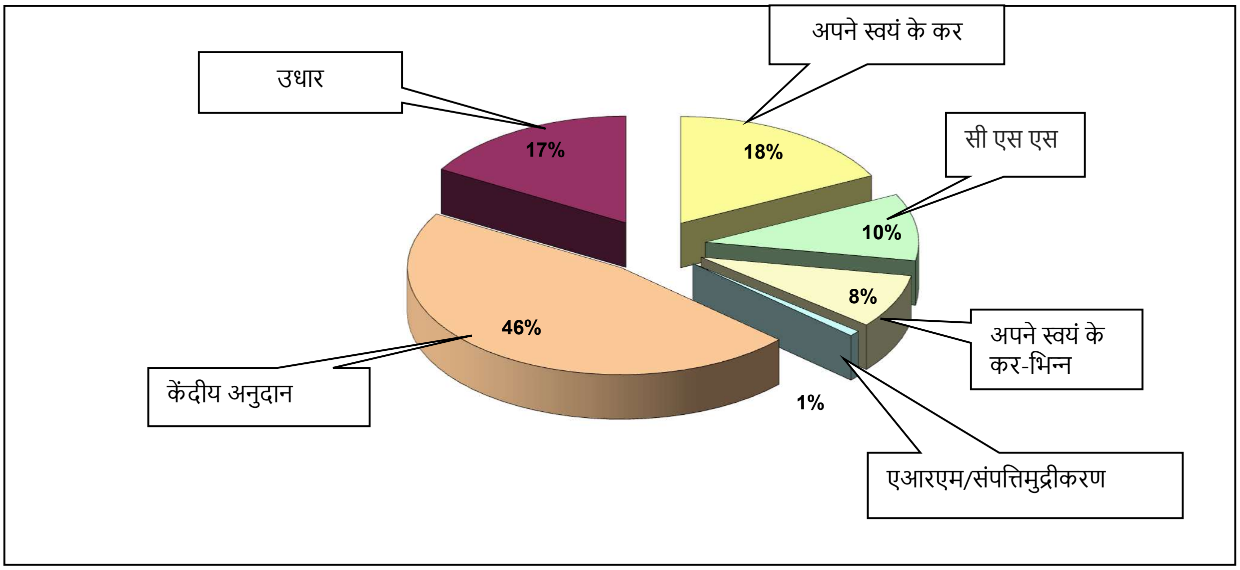


## रु. : जहां जाता है।
**(2024-25)**

**ग्राफ: 2**

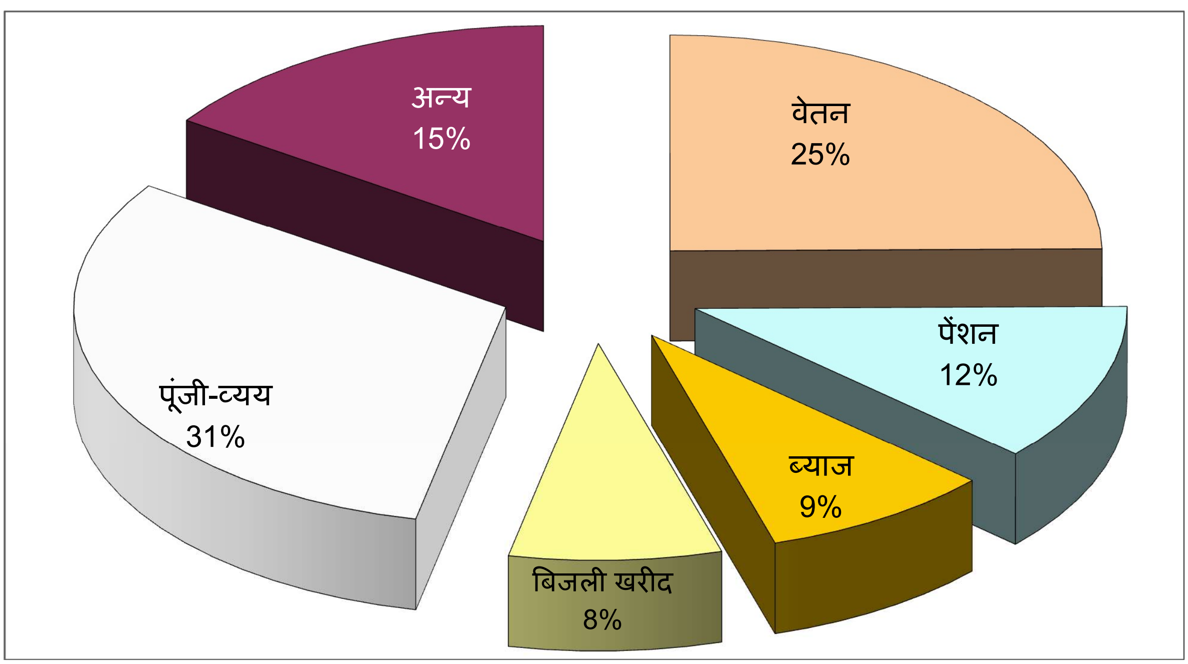

## आर्थिक वृद्धि
## मौजूदा मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद

**ग्राफ : 3** (करोड़ रु. में)

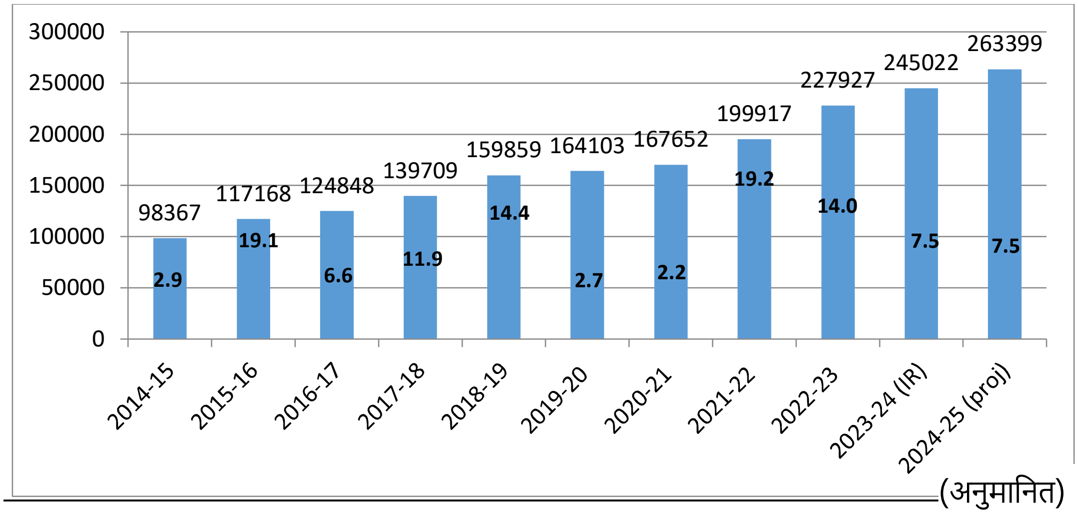


(अनुमानित)

(आधारवर्ष 2011-12 के आधार पर कोष्ठक में वृद्धि % की गणना), आईआर=प्रथमसंशोधित, परियोजना=प्रक्षेपित

## कर और राजस्व –करभार और कुशलता

**ग्राफ: 4** स्व-राजस्व%जीडीपी

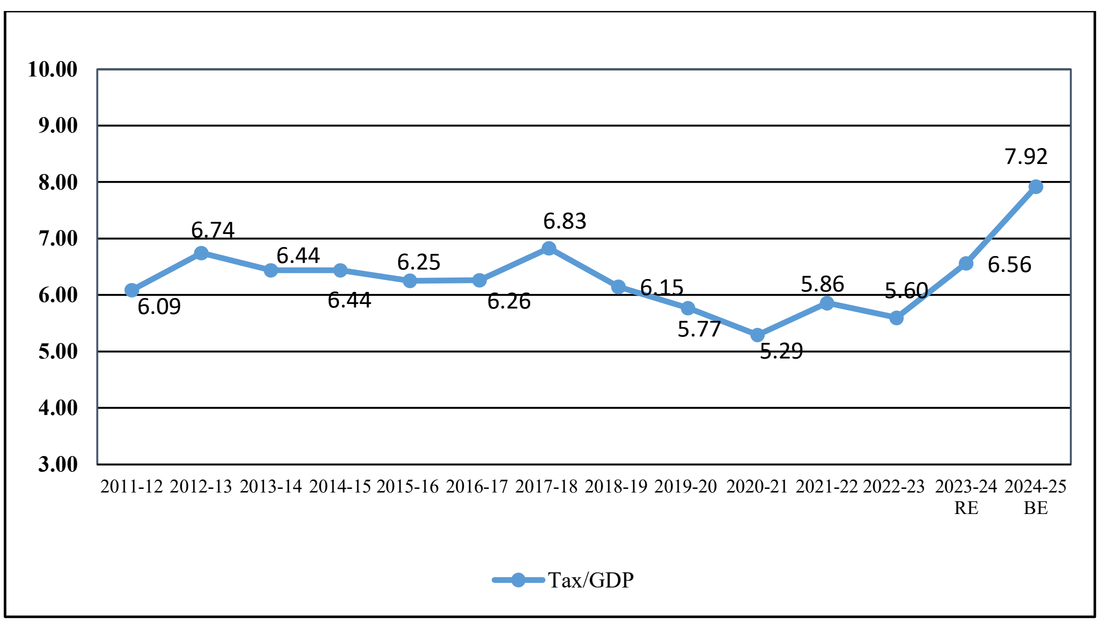

## तालिका-2 बजट : आधारभूत विवरण

(करोड़ रुपए में)

| मद | 2022-23 (पूर्व-वास्तविक) | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियां (i+ii+iii+iv)** | **68976** | **106061** | **84603** | **98719** |
| i. स्वयं का कर राजस्व | 12753 | 20349 | 16073 | 20860 |
| ii. कर-भिन्न राजस्व | 5148 | 13593 | 7864 | 9726 |
| iii. केंद्र से प्राप्त संसाधन | 51075 | 64319 | 59666 | 67133 |
| iv. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ARM) / CRISP | - | 7800 | 1000 | 1000 |
| **कुल राजस्व व्यय** | **62999** | **77009** | **76155** | **81486** |
| *ब्याज का भुगतान* | *8553* | *9635* | *9435* | *10272* |
| सीएसएस (CSS) | 2003 | 3654 | 2816 | 4291 |
| **कुल पूंजीप्राप्तियां** | **8689** | **12439** | **23594** | **19671** |
| i. उधार | 9154 | 11633 | 23542 | 19612 |
| ii. भविष्य निधि की अन्य देयताएं (निवल) | 853 | 379 | 0 | 0 |
| iii. विविध, ऋण भिन्न सृजन | -1319 | 422 | 46 | 53 |
| iv. ऋण और अग्रिम की वसूली | 1 | 5 | 6 | 6 |
| **कुल पूंजीव्यय** | **14666** | **41491** | **32042** | **36904** |
| i. पूंजीव्यय | 11513 | 26259 | 23966 | 29193 |
| *जिसमें से अदायगियां* | *4032* | *8099* | *10420* | *11710* |
| ii.सीएसएस (CSS) | 3404 | 15232 | 8076 | 7711 |
| **कुल व्यय** | **77665** | **118500** | **108197** | **118390** |
| i. राजस्व व्यय | 62999 | 77009 | 76155 | 81486 |
| ii. पूंजीव्यय | 11513 | 26259 | 23966 | 29193 |
| iii. CSS पूंजीव्यय | 3153 | 15232 | 8076 | 7711 |
| **कुल प्राप्तियां** | **77665** | **118500** | **108197** | **118390** |
| i. राजस्व प्राप्तियां | 68976 | 106061 | 84603 | 98719 |
| ii. पूंजीप्राप्तियां * | 8689 | 12439 | 23594 | 19671 |
| **राजस्व अधिशेष** | **5977** | **29052** | **8448** | **17233** |
| **गैर वित्त पोषित/अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **राजकोषीय घाटा** | **5975** | **3913** | **13122** | **7902** |
| **जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा**** | **2.62** | **1.69** | **5.36** | **3.00** |

*पूंजीगत प्राप्ति और व्यय में 2023-24 के संशोधित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान में क्रमशः 19423 करोड़ रुपये का अर्थ और साधन अग्रिम और 13713 करोड़ रुपये का ओवर डफ्राट शामिल नहीं है।

** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एआरएम सहित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% होगा जो आरई 2023-24 में 5.36% था। राजकोषीय घाटा जो पिछले वर्षों में बहुत अधिक था, केंद्रीय हस्तांतरण के उच्च स्तर के कारण एफआरबीएम सीमा के भीतर लाया गया है।

## तालिका- 3: राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

| मद | 2022-23 (पूर्व-वास्तविक) | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियां (I+II)** | **68976** | **106061** | **84603** | **98719** |
| **I. केंद्र से कुल अनुदान** | **51075** | **64319** | **59666** | **67133** |
| i. केंद्र से प्राप्त संसाधन | 51075 | 64319 | 59666 | 67133 |
| **II. अपने स्वयं के संसाधन (1+2+3)** | **17901** | **41742** | **24937** | **31586** |
| **1. स्वयं के कर राजस्व** | **12753** | **20349** | **16073** | **20860** |
| a. जीएसटी (GST) | 7630 | 13174 | 9700 | 14000 |
| b.बिक्री कर | 1794 | 2400 | 2400 | 2600 |
| c. उत्पाद शुल्क एवं पथ कर | 1554 | 1800 | 1800 | 1900 |
| d. अन्य | 557 | 650 | 650 | 800 |
| *e, विद्‌युत प्राप्तियां* | 1218 | 2325 | 1523 | 1560 |
| **2. जिसमें से कर भिन्न राजस्व** | **5148** | **13593** | **7864** | **9726** |
| *ब्याज प्राप्तियां* | *3308* | *6000* | *4654* | *6000* |
| *विद्‌युत प्राप्तियां* | *1840* | *7593* | *3210* | *3726* |
| **3. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एआरएम)** | **-** | **7800** | **1000** | **1000** |

## तालिका 4: राजस्व प्राप्तियां और व्यय : संरचना

(करोड़ रुपए में)

| | मद | 2022-23 (पूर्व-वास्तविक) | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **राजस्व व्यय** | **62999** | **77009** | **76155** | **81486** |
| | i. ब्याज | 8553 | 9635 | 9435 | 10272 |
| | ii. बिजली खरीद* | 1489 | 3040 | 6500 | 9400 |
| | iii. रखरखाव/मरम्मत/सामग्री और आपूर्तियां | 847 | 1112 | 923 | 845 |
| | iv. सहायता अनुदान (GIA) | 6285 | 4872 | 4619 | 5066 |
| | iv. सीएसएस (CSS) | 2003 | 3654 | 2816 | 4291 |
| **B.** | **प्राथमिक राजस्व व्यय** | **54446** | **67374** | **66720** | **71214** |
| | i. वेतन | 27838 | 33530 | 30575 | 29412 |
| | ii. पेंशन | 11142 | 12525 | 13646 | 14058 |
| | iii. अन्य | 4842 | 8641 | 7641 | 8142 |

* जनरेशन कंपनियों की देनदारियों की भरपाई के लिए डिस्कॉम को ऋण योजना के माध्यम से बिजली खरीद में 11292 करोड़ रुपये की पिछली देनदारी की निकासी के कारण 2022-23 में बिजली खरीद लागत कम दिखाई गई है।

## तालिका 5: पूंजी प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

| मद | 2022-23 (पूर्व-वास्तविक) | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत प्राप्तियां** | **8689** | **12439** | **23594** | **19671** |
| 1. परक्राम्य ऋण | 681 | 1505 | 901 | 1700 |
| 2. बाजार उधार | 8473 | 10128 | 22641 | 17912 |
| 3. विविध, ऋण भिन्न राशि जुटाना | -1319 | 422 | 46 | 53 |
| 4. ऋणों और अग्रिमों की वसूली | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 5. भविष्य निधि (निवल) | 853 | 379 | 0 | 0 |

## तालिका 6: पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए में)

| मद | 2022-23 (पूर्व-वास्तविक) | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत व्यय** | **14666** | **41491** | **32042** | **36904** |
| i. यूटी/जिला/पीएमडीपी (तामिर) कपैक्स | 7421 | 17961 | 13424 | 16576 |
| ii. ऋण और अग्रिम | 60 | 99 | 22 | 29 |
| iii. ऋण की अदायगी | 4032 | 8099 | 10420 | 11710 |
| iv. इक्विटी और निवेश | - | 100 | 100 | 878 |
| v. सीएसएस | 3153 | 15232 | 8076 | 7711 |
| **घाटा/पूंजीगत लेखेमय अधिशेष** | **-5977** | **-29052** | **-8448** | **-17233** |

# पूंजी प्राप्तियां बनाम पूंजी व्यय

**ग्राफ: 5** (करोड़ रुपए में)

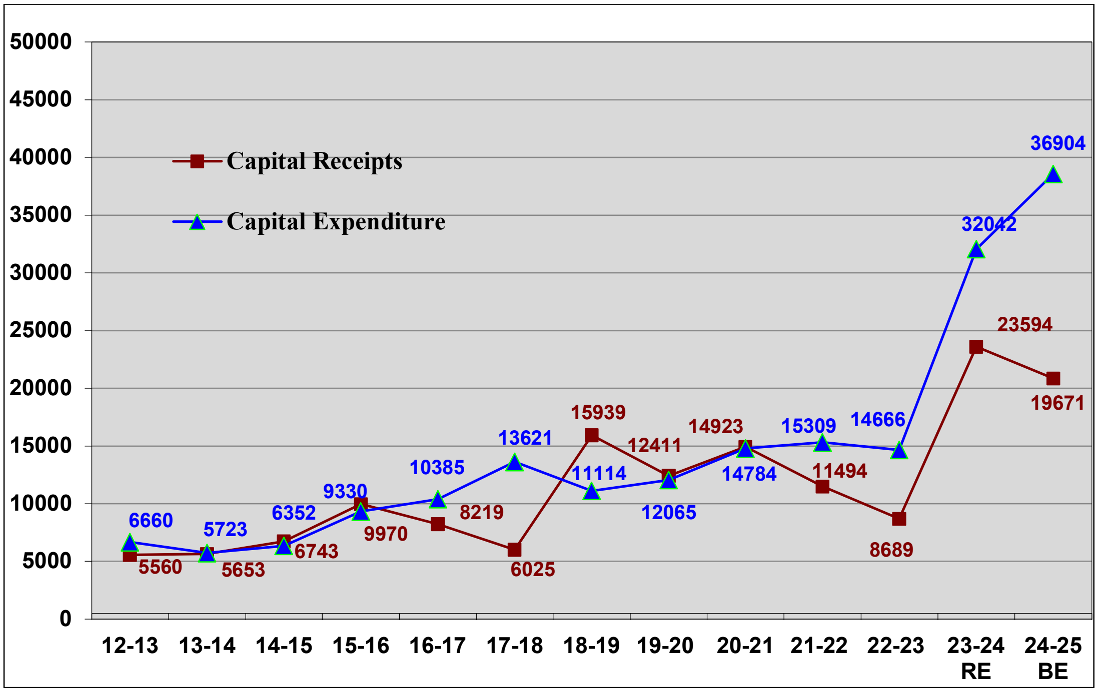


# कैपेक्स (CAPEX) के प्रति यूनिट पर राजस्व व्यय

**ग्राफ: 6**

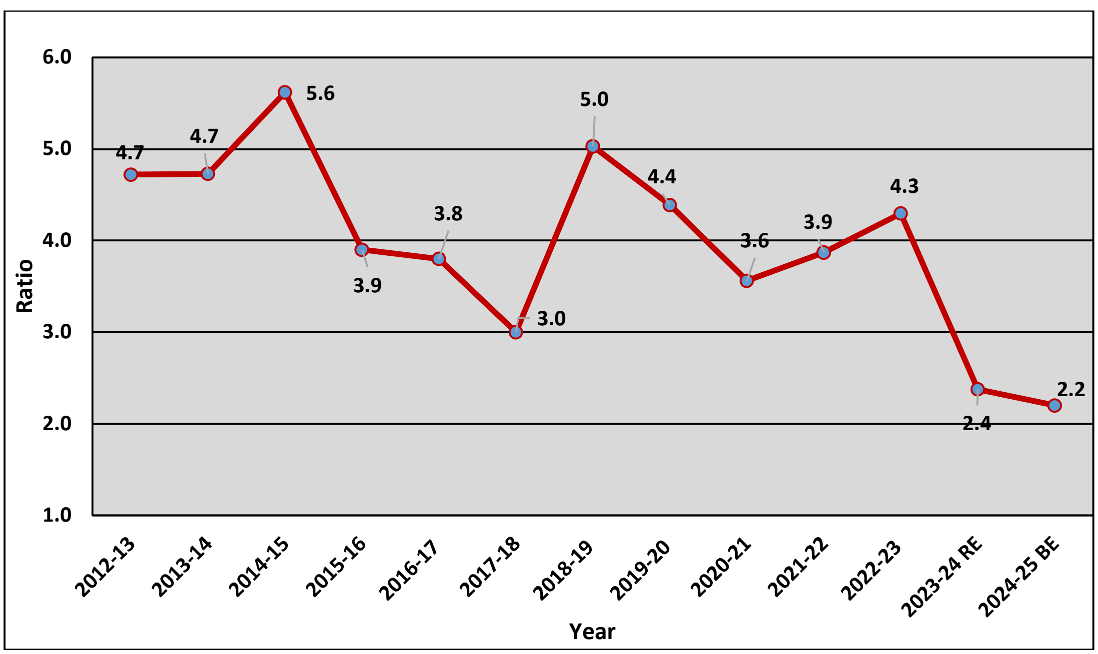

## पूंजी व्यय के लिए उपलब्ध राजस्व अधिशेष

**ग्राफ: 7** (करोड़ रूपए में)

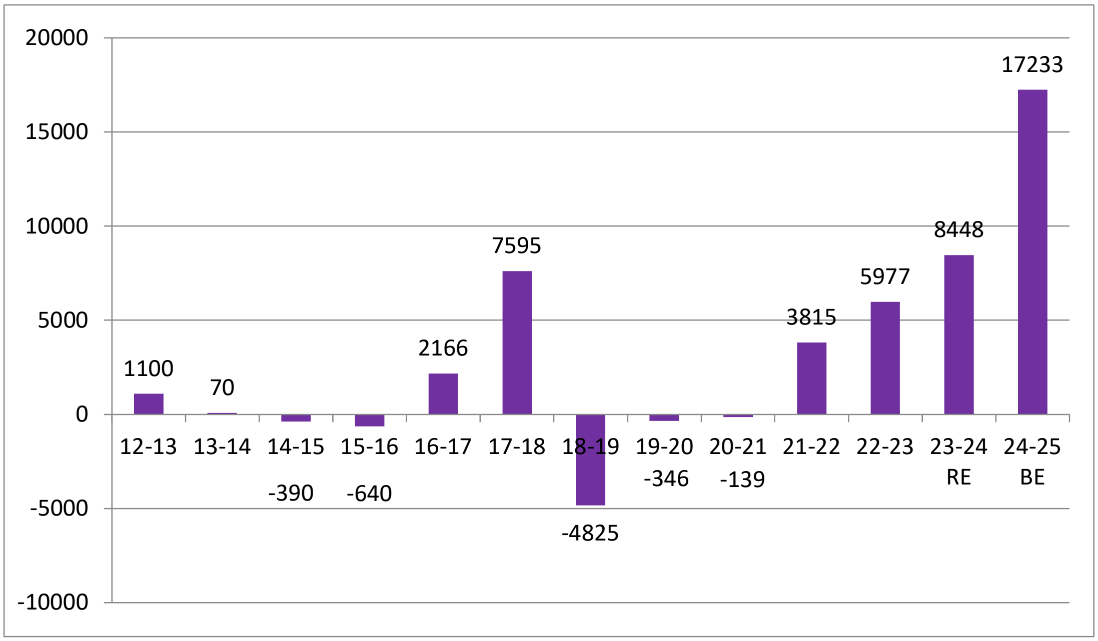


## अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि
**(कर+कर-भिन्न)**

**ग्राफ: 8** (करोड़ रुपए में)

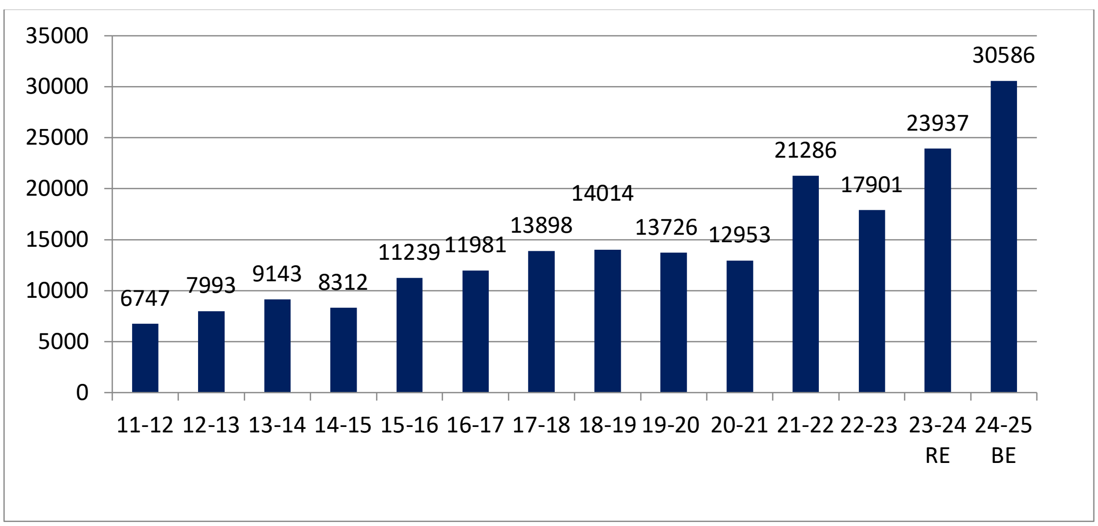

# तालिका 7: केंद्र से सांवधिक प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

| | | 2023-24 (बजट अनुमान) | 2023-24 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|
| **(A)** | **स्वत्वाधिकारी अनुदान** | **37533** | **43969** | **54631** |
| | i. गृह मंत्रालय अनुदान के तहत केंद्रीय सहायता | 35302 | 41472 | 41999 |
| | ii.गृह मंत्रालय की मांग संख्या 51 के तहत स्थानांतरण (पुलिस व्यय की प्रतिपूर्ति)" | 0 | 0 | 9545 |
| | iii.एसडीआरएफ(SDRF) | 279 | 279 | 279 |
| | iv. एसआरई (SRE) | 1700 | 2180 | 2300 |
| | v. अन्य केंद्रीय योजनाएं | 252 | 38 | 508 |
| **(B)** | **अन्य अनुदान** | **26786** | **15697** | **12502** |
| | i. प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP) | 7900 | 4805 | 508 |
| | ii. सीएसएस (CSS) | 18886 | 10892 | 12002 |
| | **कुल (ए+बी)** | **64319** | **59666** | **67133** |

# निवेश की दर

**ग्राफ: 9** **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केपैक्स (CAPEX)**

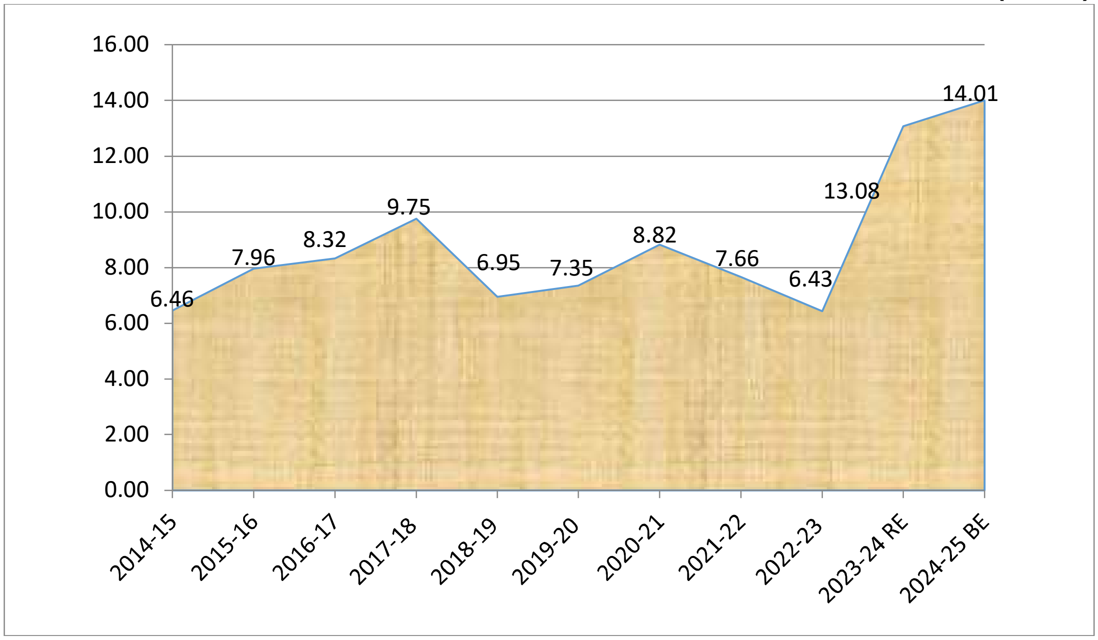


# राजकोषीय घाटे का उपयोग

**ग्राफ: 10** **राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में केपैक्स (CAPEX)**

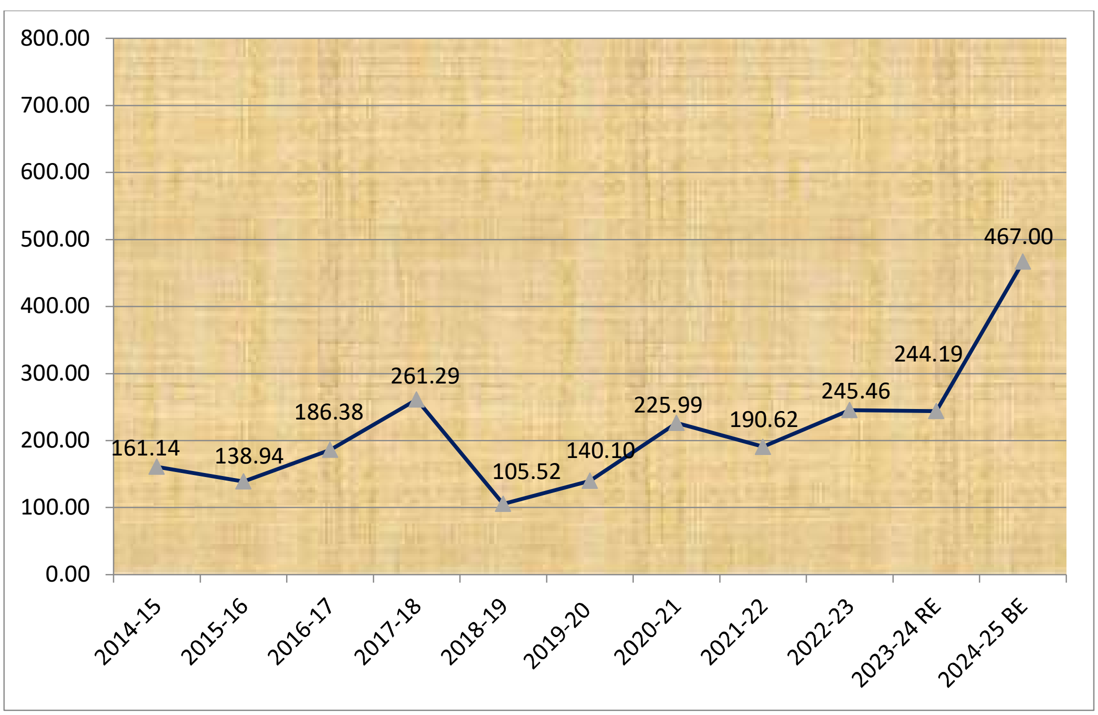

# व्यय की प्रवृत्ति

**ग्राफ: 11** (करोड़ रुपए में)

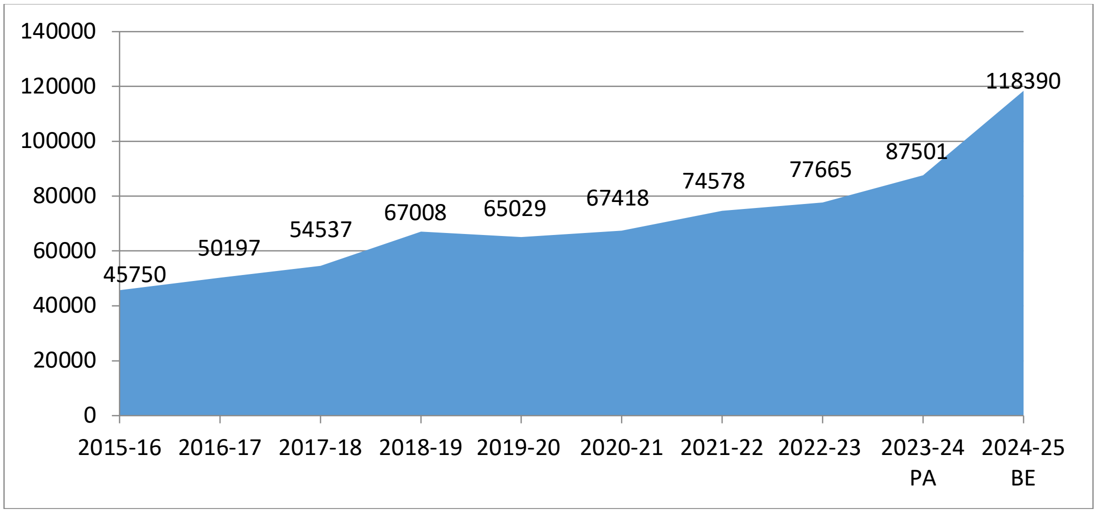


# कर राजस्व : प्रवृत्तियां

**ग्राफ : 12** (करोड़ रुपए में)

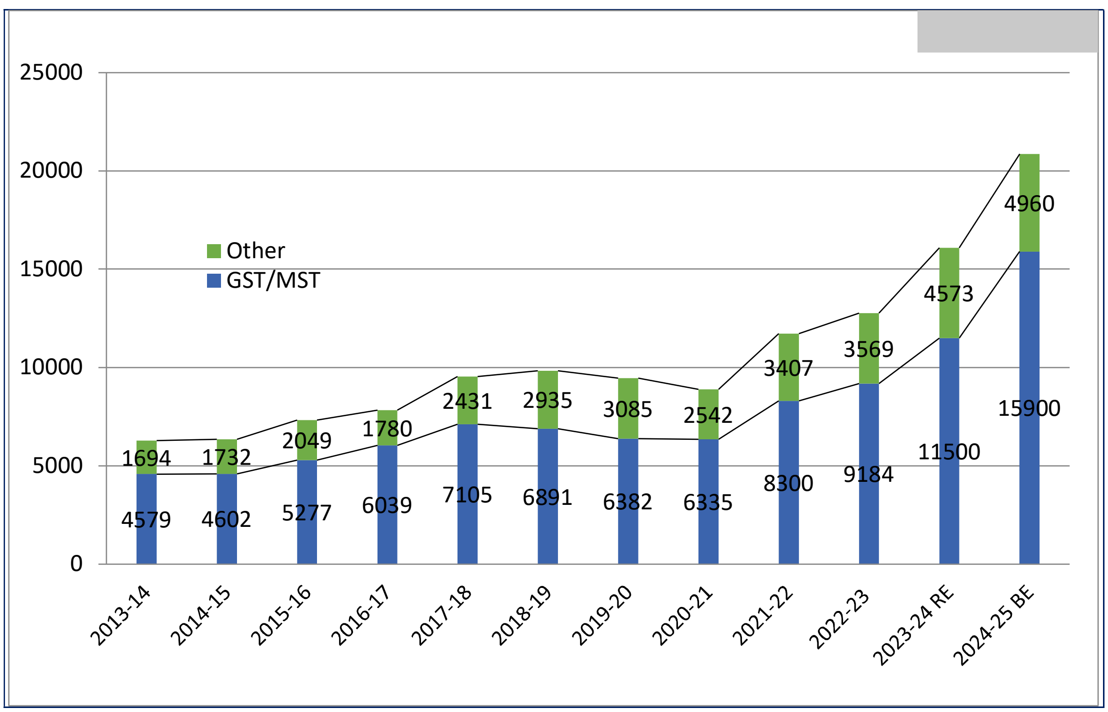

# पूंजी व्यय का वित्तपोषण

**ग्राफ: 13** (करोड़ रुपए में)

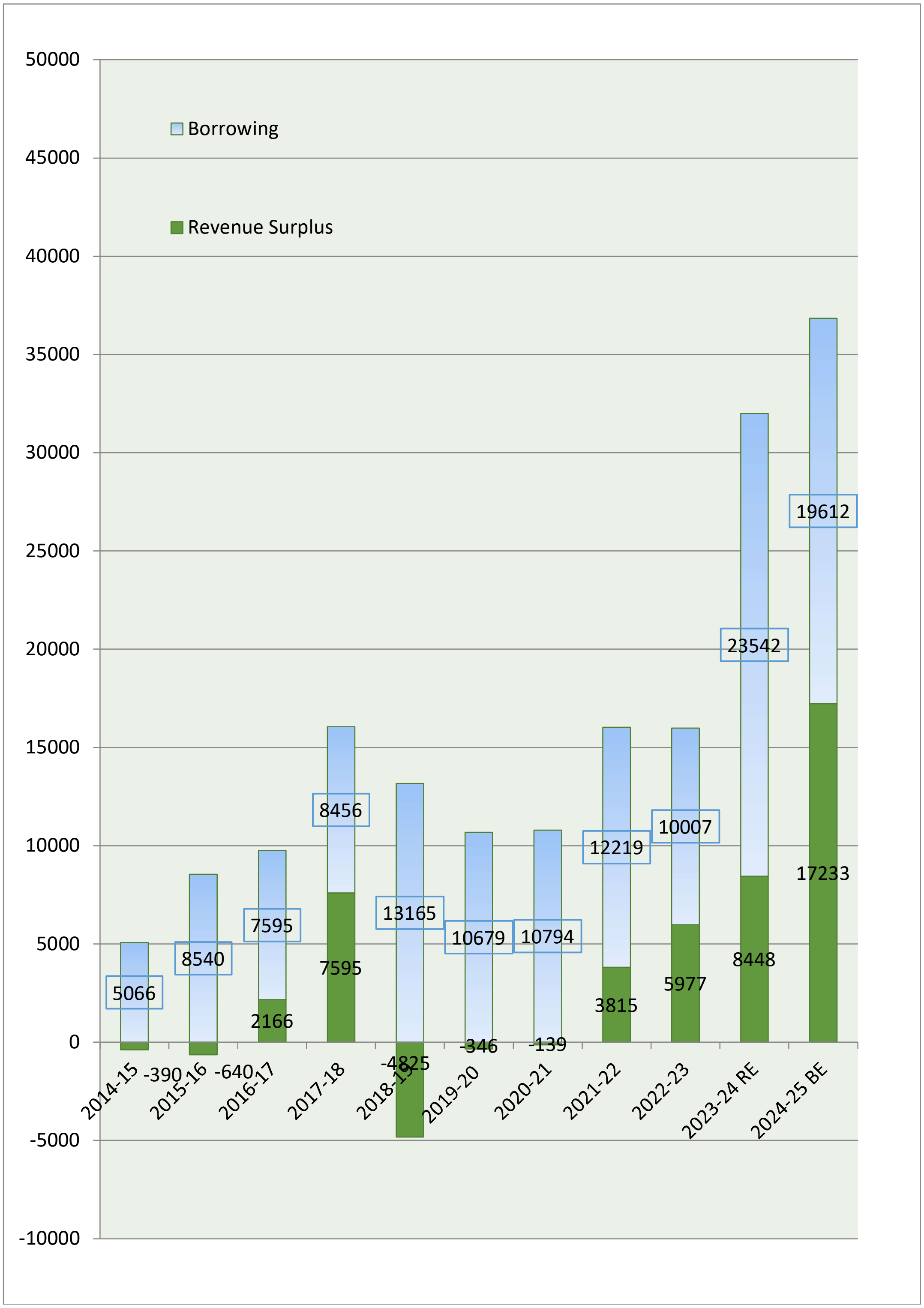

# तालिका 8: सेक्टर-वार राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए में)

| मांग सं. | विभाग | बजट अनुमान (2023-24) | संशोधित अनुमान (2023-24) | बजट अनुमान (2024-25) | % बढ़ोतरी (2023-24) RE से (2024-25) BE तक |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **प्रशासनिक सेक्टर** | | | | |
| 01 | सामान्य प्रशासन | 560.86 | 503.44 | 532.76 | 5.82 |
| 02 | गृह | 10314.22 | 8847.44 | 6137.63 | -30.63 |
| 04 | सूचना | 122.05 | 108.31 | 128.06 | 18.23 |
| 09 | संसदीय कार्य | 59.59 | 30.13 | 55.86 | 85.39 |
| 10 | विधि | 932.58 | 745.18 | 1093.26 | 46.71 |
| 14 | राजस्व | 830.54 | 732.39 | 729.62 | -0.38 |
| 24 | आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल | 239.37 | 197.14 | 214.94 | 9.03 |
| 33 | आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास | 1009.82 | 967.77 | 989.56 | 2.25 |
| | **कुल प्रशासनिक सेक्टर** | **14069.03** | **12131.80** | **9881.68** | **-18.55** |
| **02** | **सामाजिक सेक्टर** | | | | |
| 07 | शिक्षा | 12000.18 | 11017.56 | 12147.09 | 10.25 |
| 15 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले | 236.21 | 218.01 | 234.52 | 7.57 |
| 17 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | 6264.75 | 6060.82 | 6658.94 | 9.87 |
| 18 | सामाजिक कल्याण | 3538.72 | 2841.20 | 3244.21 | 14.18 |
| 25 | लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग/ श्रम एवं रोजगार | 111.13 | 84.96 | 90.69 | 6.75 |
| 27 | उच्चतर शिक्षा | 1540.68 | 1488.90 | 1666.42 | 11.92 |
| 30 | जनजातीय कार्य | 121.91 | 77.70 | 124.68 | 60.47 |
| 31 | संस्कृति | 97.38 | 77.12 | 68.24 | -11.51 |
| 34 | यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा | 669.48 | 595.06 | 635.72 | 6.83 |
| | **कुल सामाजिक सेक्टर** | **24580.44** | **22461.33** | **24870.50** | **10.73** |
| **03** | **अवसंरचना सेक्टर** | | | | |
| 06 | विद्युत विकास | 4388.24 | 7805.98 | 10799.71 | 38.35 |
| 16 | लोकनिर्माण कार्य | 1327.60 | 1222.25 | 1213.59 | -0.71 |
| 19 | आवास एवं शहरी विकास | 1297.51 | 1215.13 | 1254.19 | 3.21 |
| 22 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 717.58 | 637.82 | 647.45 | 1.51 |
| 23 | जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग | 1838.12 | 1744.07 | 1791.35 | 2.71 |
| 35 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 13.02 | 12.60 | 13.11 | 4.02 |
| | **कुल अवसंरचना सेक्टर** | **9582.07** | **12637.85** | **15719.40** | **24.38** |
| **04** | **आर्थिक सेक्टर** | | | | |
| 05 | खनन | 78.35 | 63.65 | 80.16 | 25.93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | उद्योग एवं वाणिज्य | 347.44 | 263.34 | 354.18 | 34.50 |
| 12 | कृषि उत्पादन | 1308.00 | 1231.01 | 1263.46 | 2.64 |
| 13 | पशु/भेड़पालन | 669.08 | 617.77 | 727.98 | 17.84 |
| 20 | पर्यटन | 215.00 | 194.07 | 221.67 | 14.22 |
| 21 | वन | 1568.52 | 1333.95 | 1441.08 | 8.03 |
| 26 | मत्स्य पालन | 111.57 | 108.62 | 150.72 | 38.76 |
| 28 | ग्रामीण विकास | 748.34 | 660.63 | 933.45 | 41.30 |
| 29 | परिवहन | 107.39 | 89.42 | 91.14 | 1.93 |
| 32 | बागवानी | 161.52 | 157.34 | 217.96 | 38.53 |
| 36 | सहकारिता | 71.20 | 80.25 | 73.69 | -8.17 |
| | **कुल आर्थिक सेक्टर** | **5386.41** | **4800.05** | **5555.48** | **15.74** |
| **05** | **वित्तीय सेक्टर** | | | | |
| 03 | योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग | 134.80 | 119.31 | 130.74 | 9.58 |
| 08 | वित्त | 23256.01 | 24004.40 | 25327.69 | 5.51 |
| | **कुल वित्तीय सेक्टर** | **23390.81** | **24123.71** | **25458.43** | **5.53** |
| | **कुल मिलाकर** | **77008.76** | **76154.74** | **81485.50** | **7.00** |

'-' चिह्न कमी को दर्शाता है।

# सेक्टर-वार राजस्व व्यय

**ग्राफ: 14**

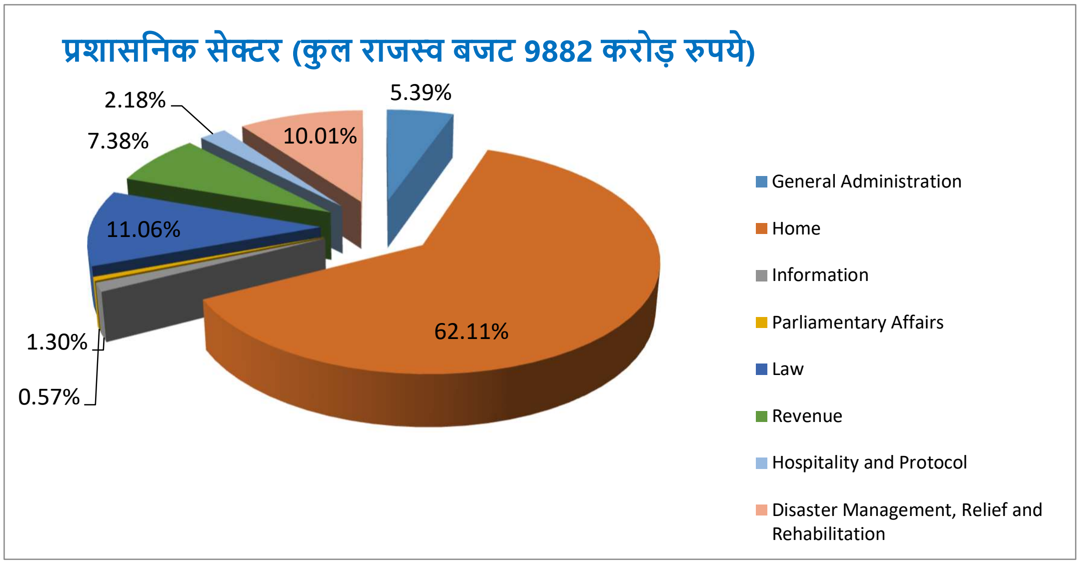


**ग्राफ : 15**

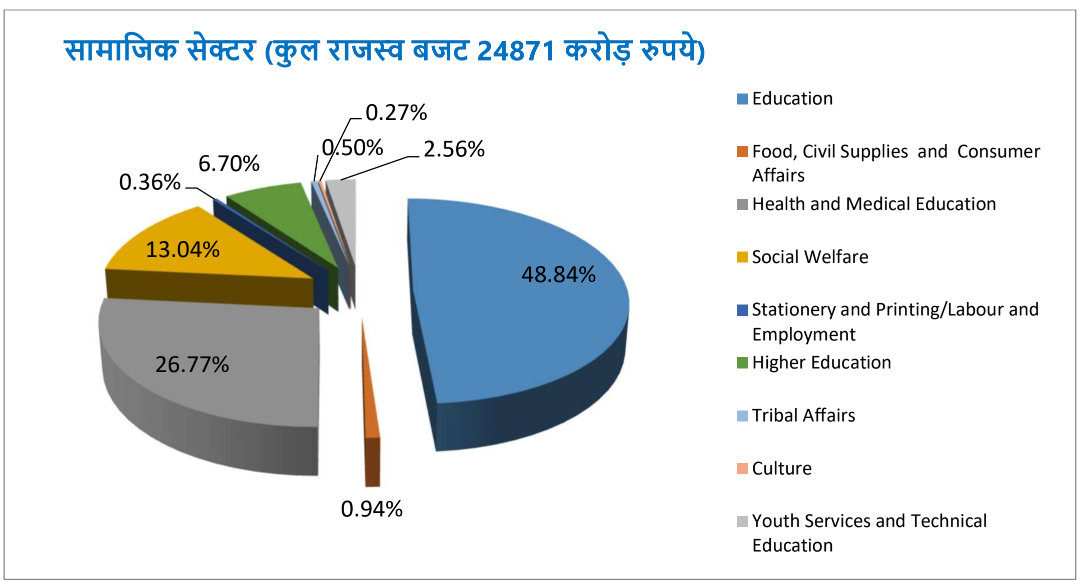

**ग्राफ: 16**

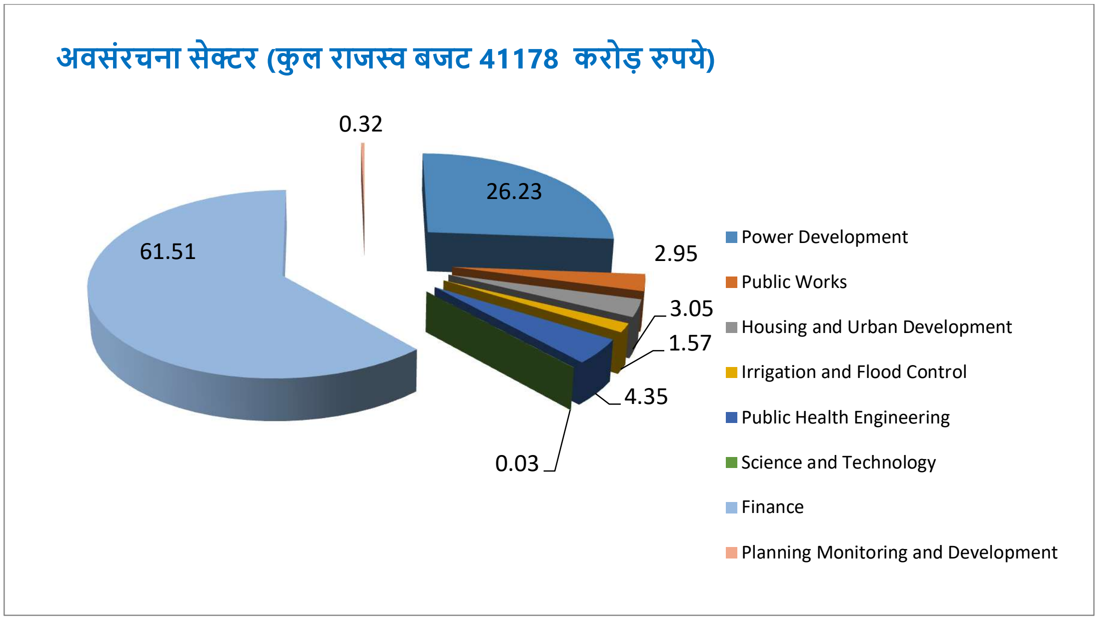
अवसंरचना सेक्टर (कुल राजस्व बजट 41178 करोड़ रुपये)
0.32
26.23
61.51
2.95
3.05
1.57
4.35
0.03
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

**ग्राफ: 17**

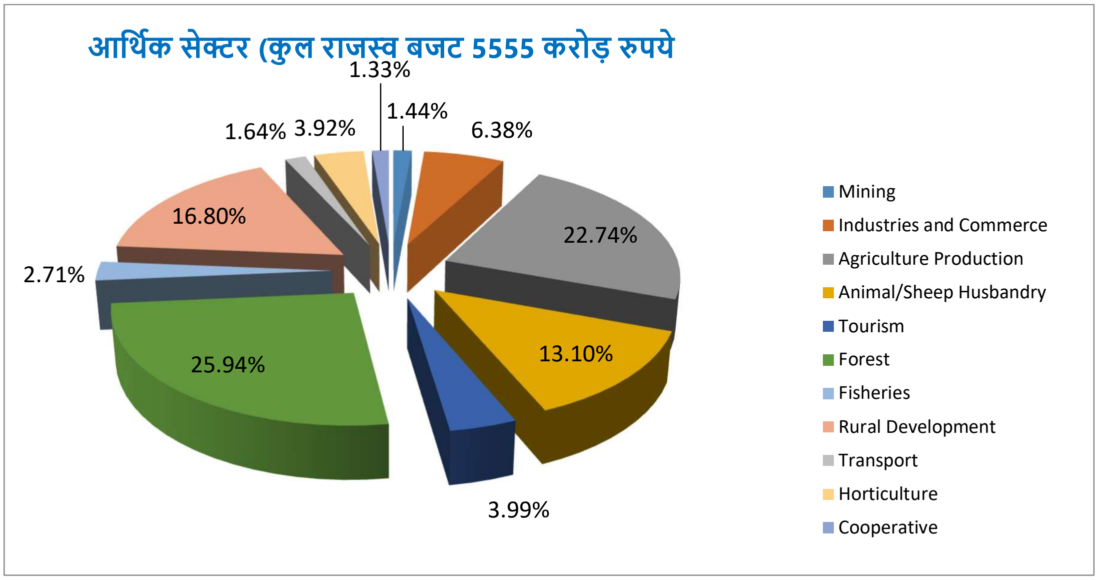
आर्थिक सेक्टर (कुल राजस्व बजट 5555 करोड़ रुपये
1.33%
1.44%
1.64% 3.92%
6.38%
16.80%
22.74%
2.71%
25.94%
13.10%
3.99%
Mining
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

## तालिका 9: सेक्टर-वार पूंजीव्यय

(करोड़ रुपए में)

| मांग सं. | विभाग | बजट अनुमान (2023-24) | संशोधित अनुमान (2023-24) | बजट अनुमान (2024-25) | % बढ़ोतरी (2023-24) RE से(2024-25) BE तक |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **प्रशासनिक सेक्टर** | | | | |
| 01 | सामान्य प्रशासन | 163.41 | 63.52 | 72.00 | 13.35 |
| 02 | गृह | 799.61 | 440.18 | 377.51 | -14.24 |
| 04 | सूचना | 100.48 | 0.48 | 1.00 | 108.33 |
| 09 | संसदीय कार्य | 4.00 | 0.00 | 4.00 | - |
| 10 | विधि | 192.00 | 120.00 | 190.00 | 58.33 |
| 14 | राजस्व | 59.50 | 14.00 | 43.00 | 207.14 |
| 24 | आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल | 72.00 | 75.50 | 64.00 | -15.23 |
| 33 | आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास | 410.67 | 288.00 | 438.99 | 52.43 |
| | **कुल प्रशासनिक सेक्टर** | **1801.67** | **1001.68** | **1190.50** | **18.85** |
| **02** | **सामाजिक सेक्टर** | | | | |
| 07 | शिक्षा | 792.12 | 664.78 | 807.47 | 21.46 |
| 15 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले | 390.87 | 379.46 | 445.25 | 17.34 |
| 17 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | 2097.53 | 1713.49 | 1674.51 | -2.27 |
| 18 | सामाजिक कल्याण | 98.92 | 76.50 | 85.83 | 12.19 |
| 25 | स्वच्छता एवं प्रिंटिंग/ श्रम एवं रोजगार | 69.00 | 37.28 | 108.08 | 189.92 |
| 27 | उच्चतर शिक्षा | 729.75 | 434.00 | 477.00 | 9.91 |
| 30 | जनजातिया कार्य | 446.76 | 270.70 | 272.70 | 0.74 |
| 31 | संस्कृति | 170.07 | 60.50 | 131.50 | 117.36 |
| 34 | यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा | 227.63 | 168.58 | 215.30 | 27.72 |
| | **कुल सामाजिक सेक्टर** | **5022.65** | **3805.29** | **4217.65** | **10.84** |
| **03** | **अवसंरचना सेक्टर** | | | | |
| 06 | विद्युत विकास | 1964.90 | 1322.39 | 2020.67 | 52.80 |
| 16 | लोकनिर्माण कार्य | 4062.87 | 3942.87 | 4061.75 | 3.01 |
| 19 | आवास एवं शहरी विकास | 2928.04 | 2628.28 | 2760.27 | 5.02 |
| 22 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1310.50 | 602.44 | 947.93 | 57.35 |
| 23 | जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग | 5850.00 | 930.49 | 1714.04 | 84.21 |
| 35 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 109.85 | 88.00 | 159.80 | 81.59 |
| | **कुल अवसंरचना सेक्टर** | **16226.16** | **9514.47** | **11664.45** | **22.60** |
| **04** | **आर्थिक सेक्टर** | | | | |
| 05 | खनन | 12.20 | 1.10 | 2.00 | 81.82 |
| 11 | उद्योग एवं वाणिज्य | 741.79 | 396.27 | 534.62 | 34.91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | कृषि उत्पादन | 1953.95 | 801.45 | 1055.40 | 31.69 |
| 13 | पशु/भेड़पालन | 476.44 | 336.63 | 489.50 | 45.41 |
| 20 | पर्यटन | 287.32 | 253.75 | 388.20 | 52.99 |
| 21 | वन | 207.75 | 134.45 | 186.45 | 38.68 |
| 26 | मत्स्य पालन | 153.26 | 70.00 | 82.46 | 17.79 |
| 28 | ग्रामीण विकास | 4169.26 | 3999.50 | 3731.54 | -6.70 |
| 29 | परिवहन | 54.39 | 13.89 | 22.00 | 58.39 |
| 32 | बागवानी | 572.79 | 320.98 | 426.04 | 32.73 |
| 36 | सहकारिता | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
| | **कुल आर्थिक सेक्टर** | **8654.15** | **6348.02** | **6943.20** | **9.38** |
| **05** | **वित्तीय सेक्टर** | | | | |
| 03 | योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग | 786.57 | 327.16 | 543.48 | 66.12 |
| 08 | वित्त | 9000.04 | 11045.77 | 12344.99 | 11.76 |
| | **कुल वित्तीय सेक्टर** | **9786.61** | **11372.93** | **12888.47** | 13.33 |
| | **कुल मिलाकर** | **41491.24** | **32042.39** | **36904.28** | **15.17** |

# सेक्टर-वार पूंजीव्यय

**ग्राफ: 18**

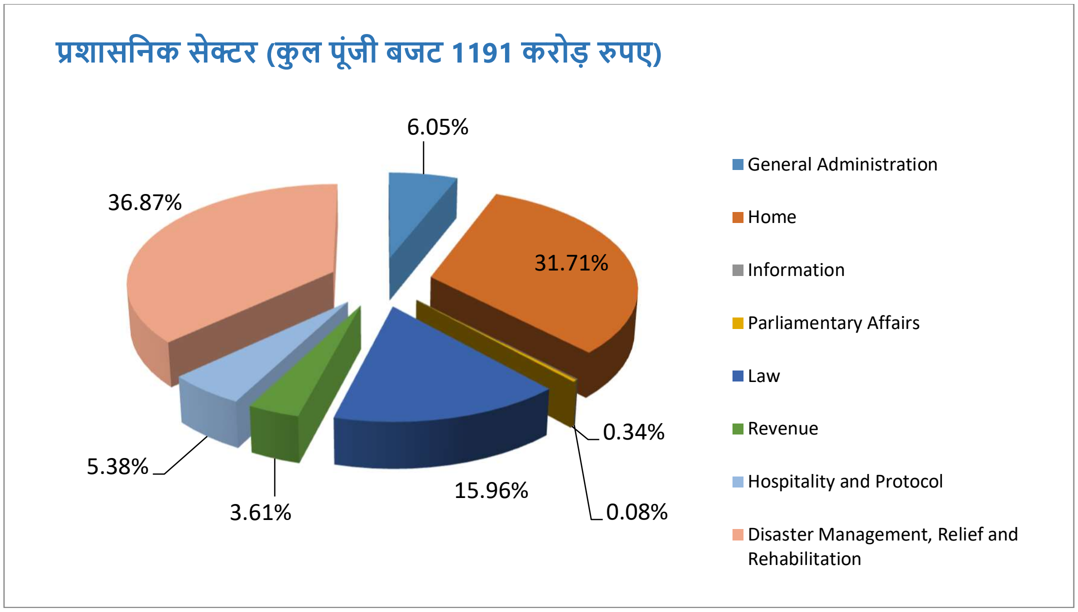


**ग्राफ: 19**

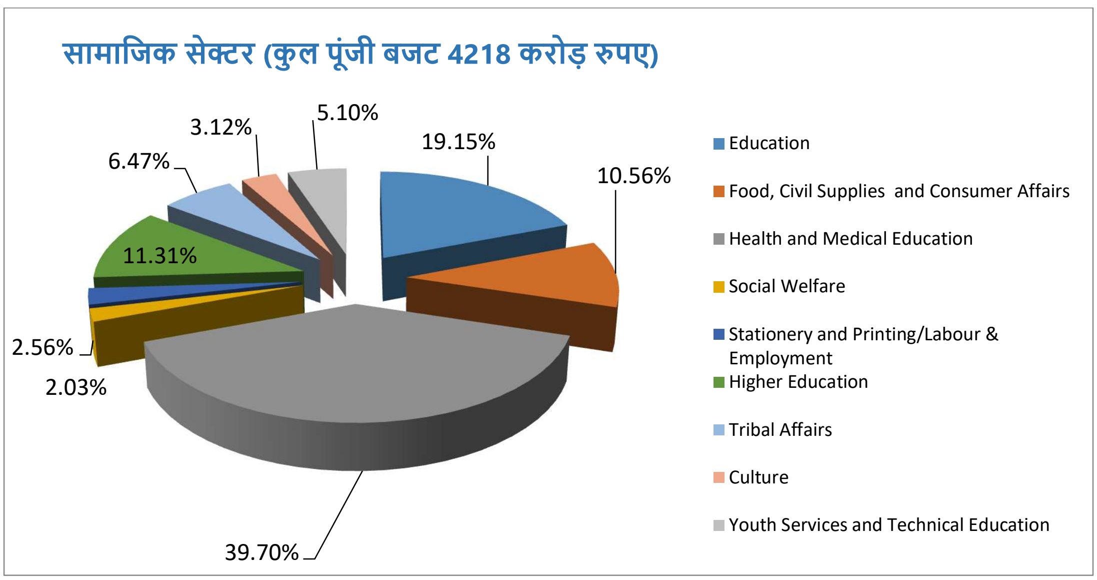

**ग्राफ: 20**

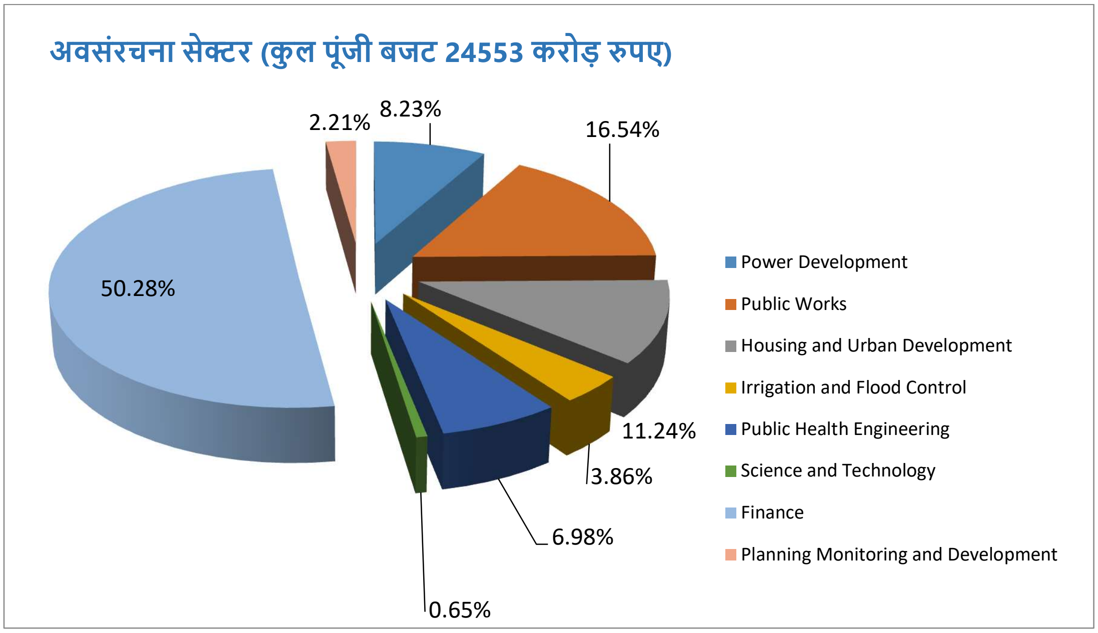

अवसंरचना सेक्टर (कुल पूंजी बजट 24553 करोड़ रुपए)
2.21%
8.23%
16.54%
50.28%
11.24%
3.86%
6.98%
0.65%
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development


**ग्राफ: 21**

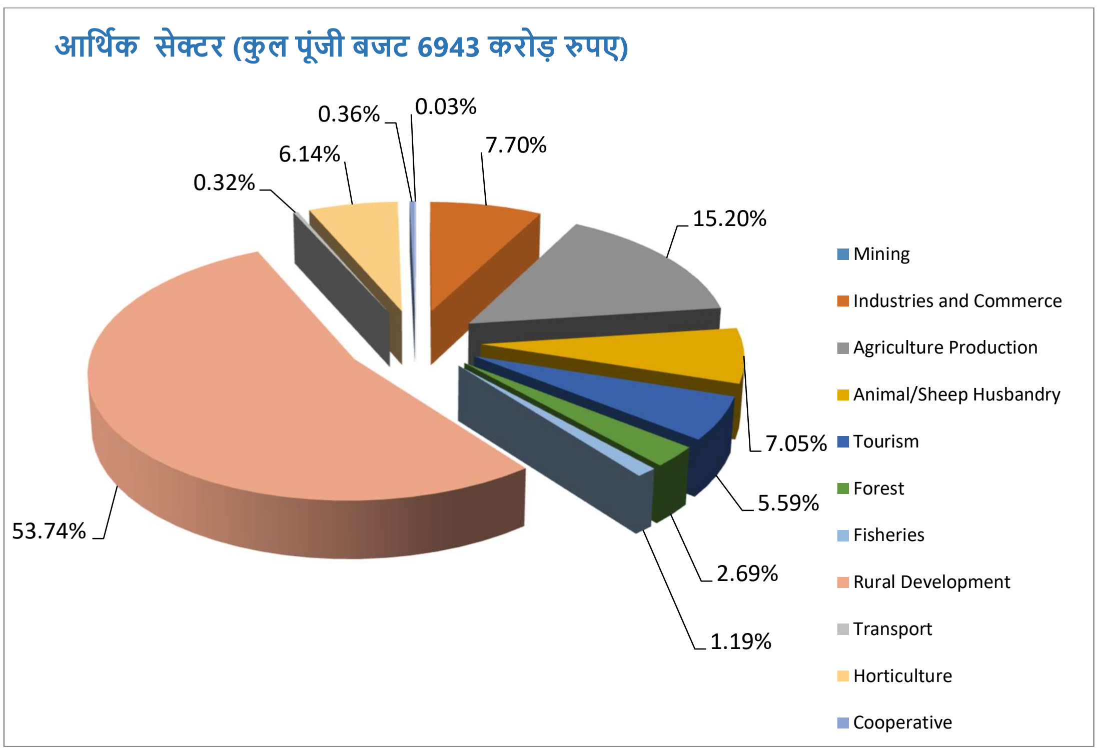

आर्थिक सेक्टर (कुल पूंजी बजट 6943 करोड़ रुपए)
0.36%
0.03%
6.14%
7.70%
0.32%
15.20%
7.05%
5.59%
2.69%
1.19%
53.74%
Mining
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

# विभाग-वार समग्र पूंजीव्यय (%)

## प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

**ग्राफ: 22**

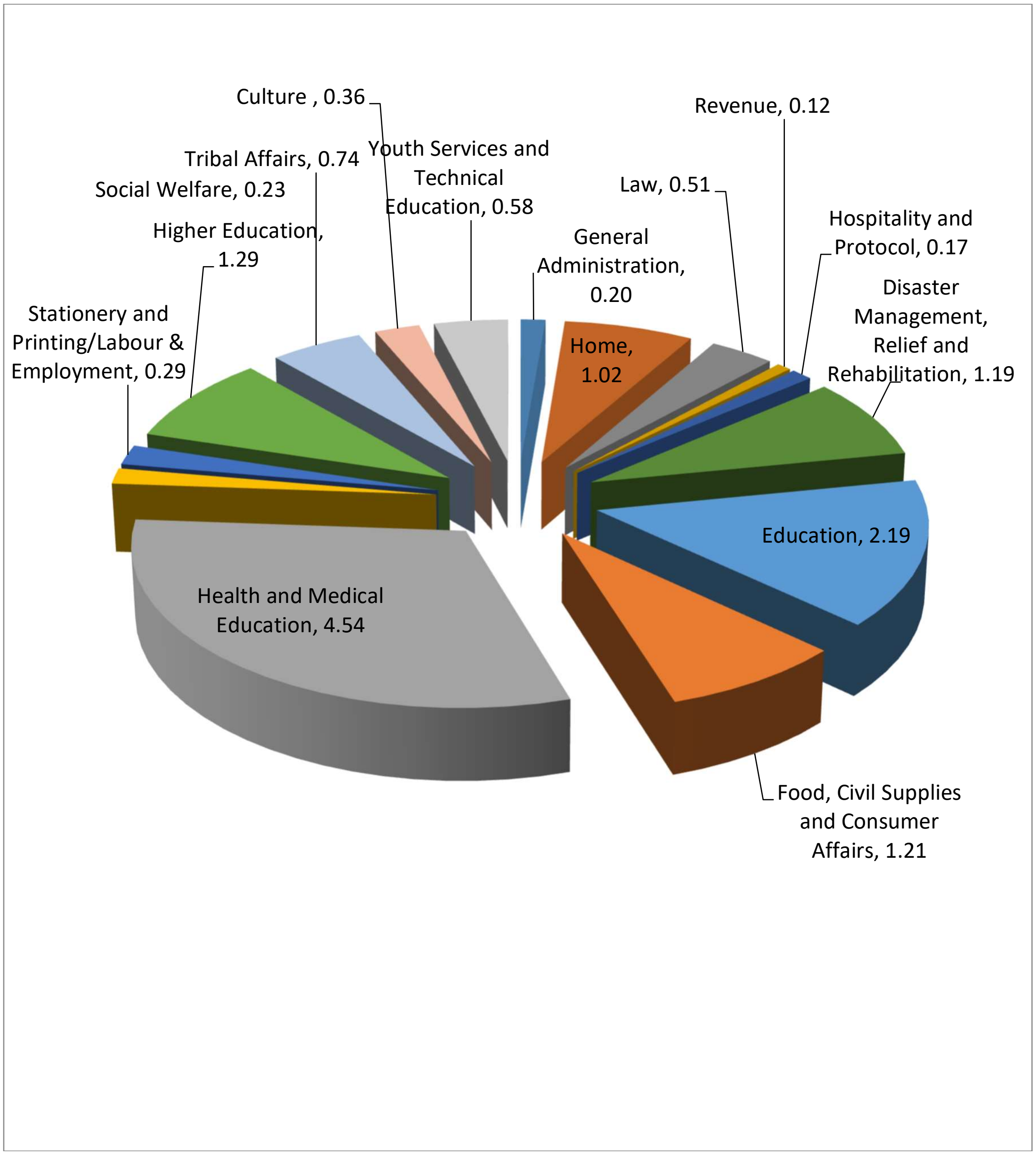

## विभाग-वार समग्र राजस्व व्यय (%)
प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

**ग्राफ: 23**

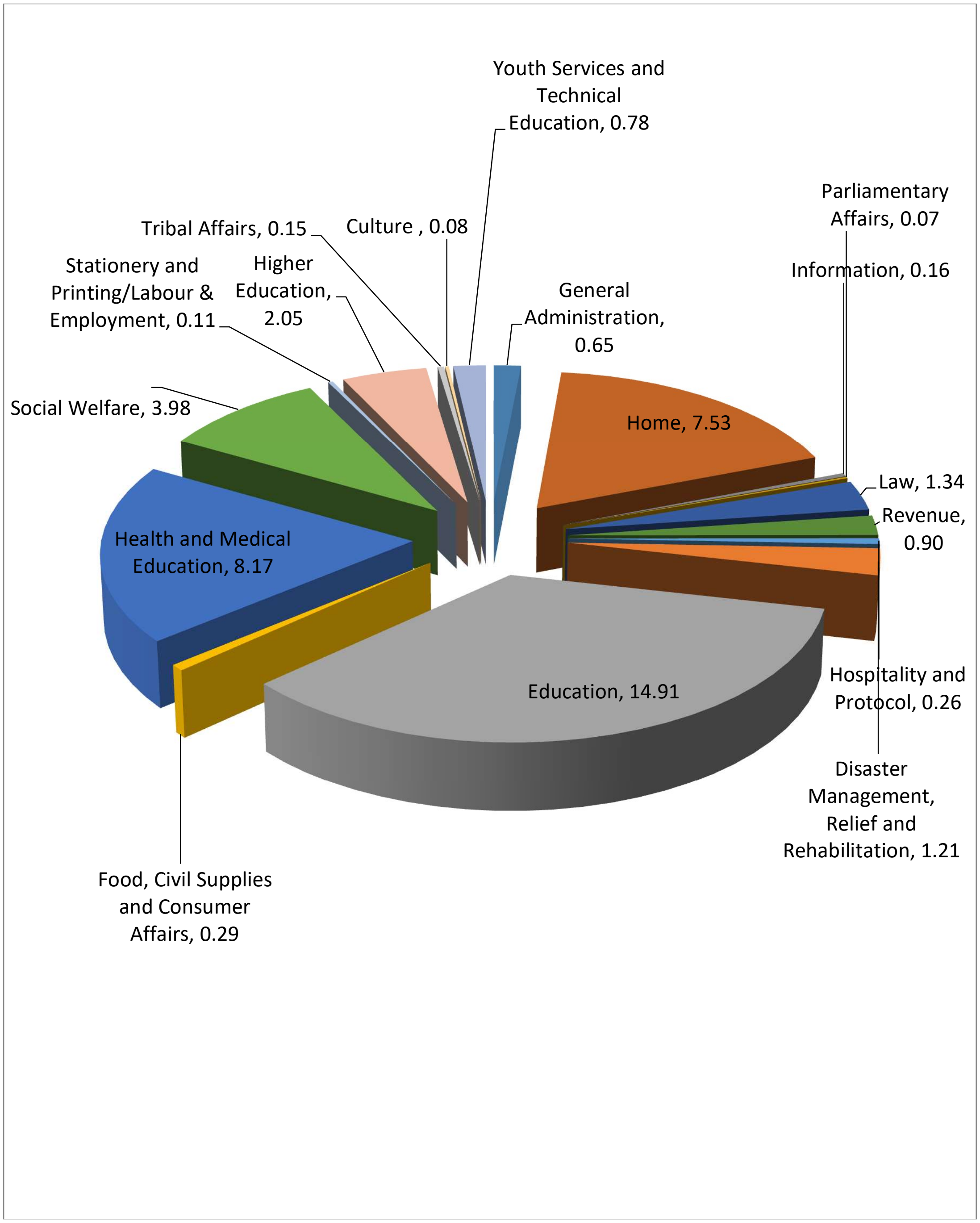

## विभाग-वार समग्र पूंजी व्यय (%)
## अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

**ग्राफ: 24**

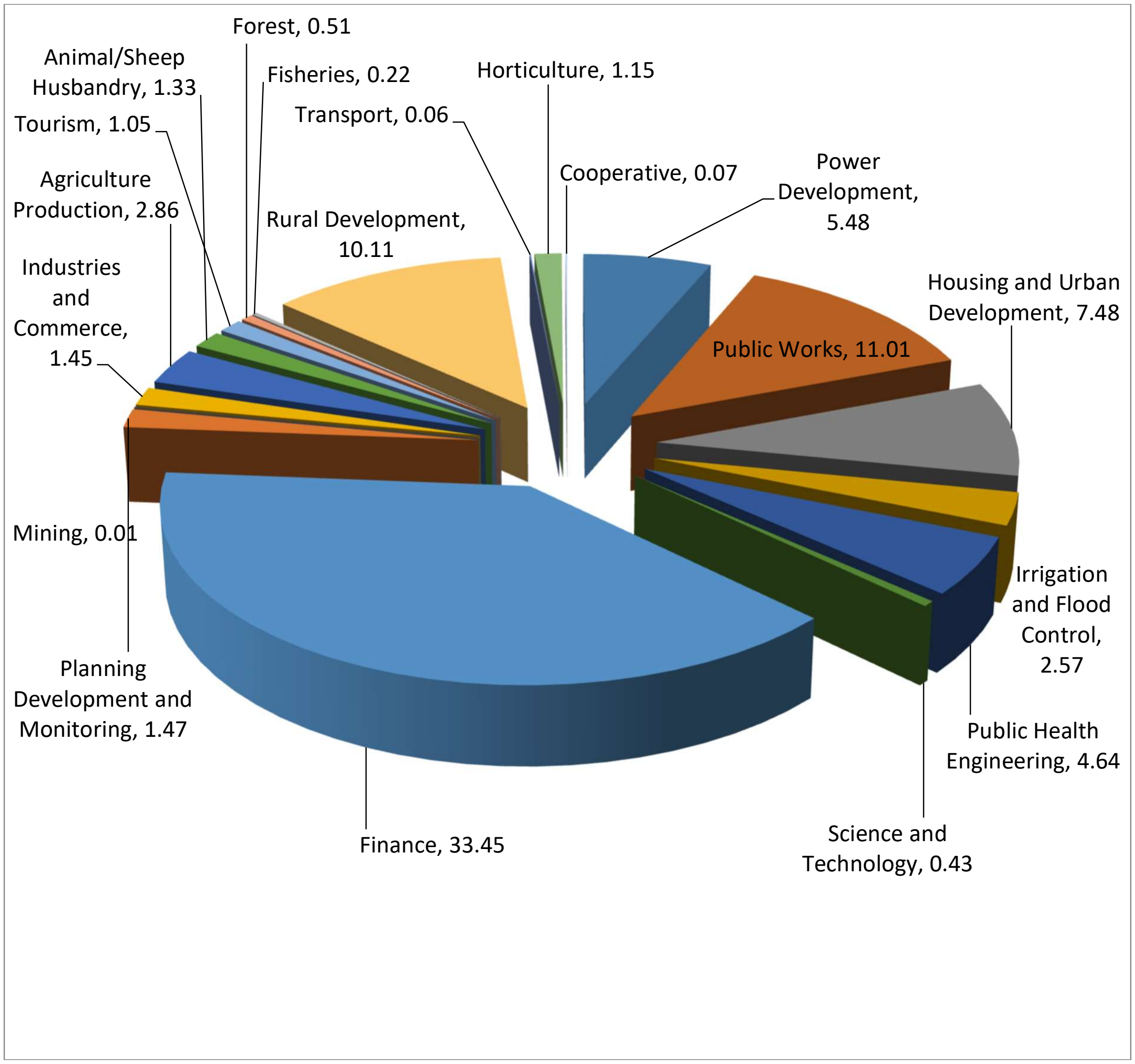

## विभाग-वार समग्र राजस्वव्यय (%)
### अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

**ग्राफ: 25**

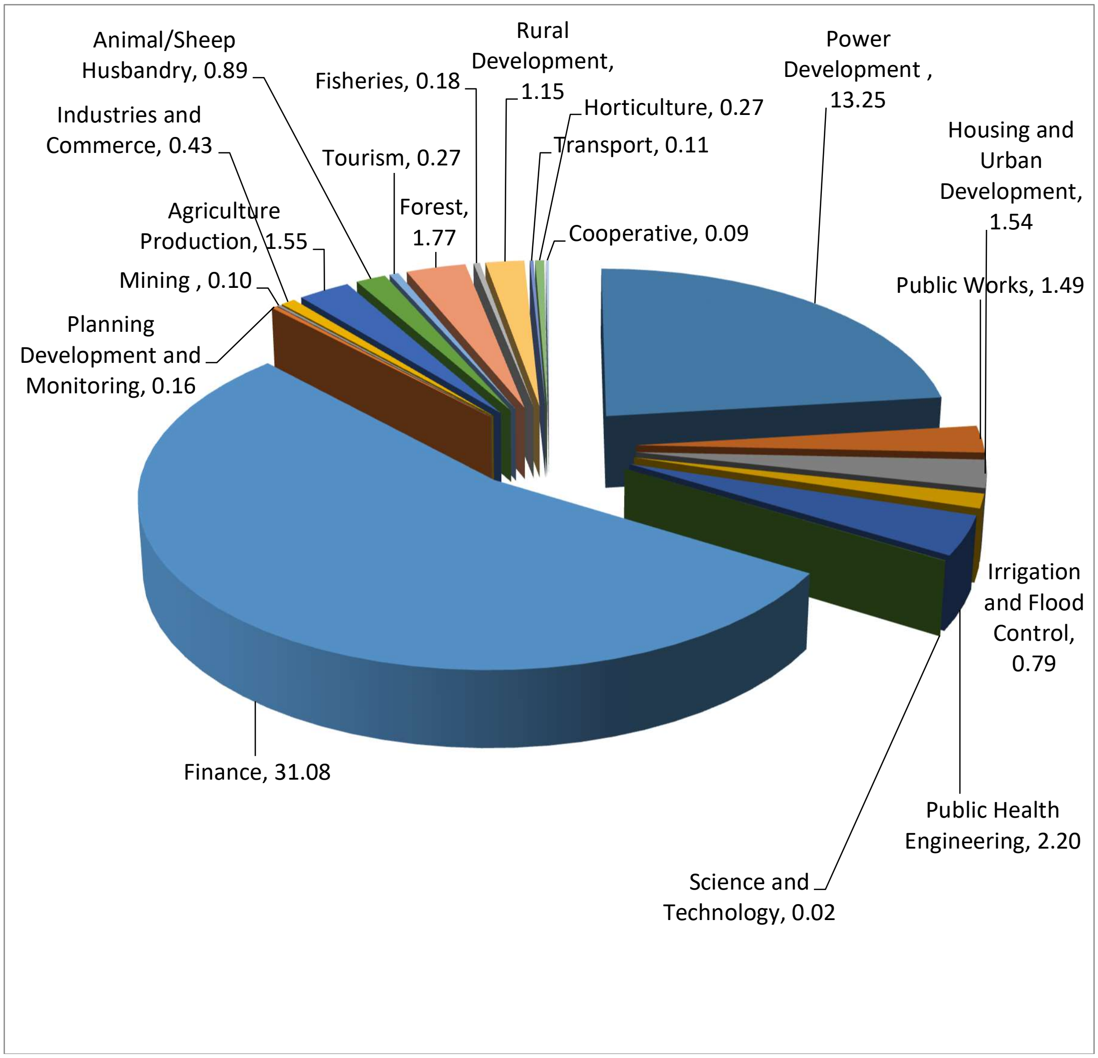

## जीडीपी में सेक्टोरल निवेश का योगदान

**ग्राफ: 26**

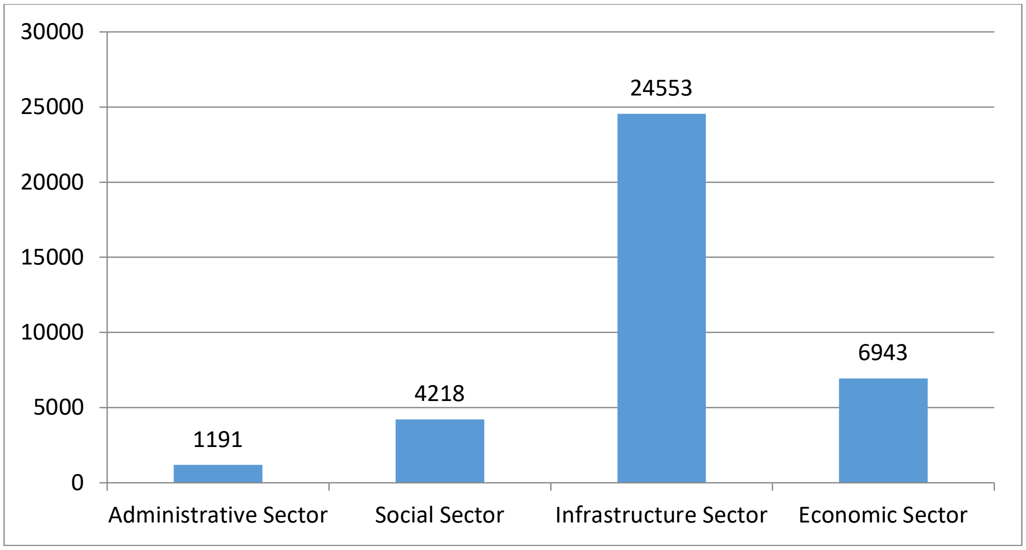


**ग्राफ: 27** **%**

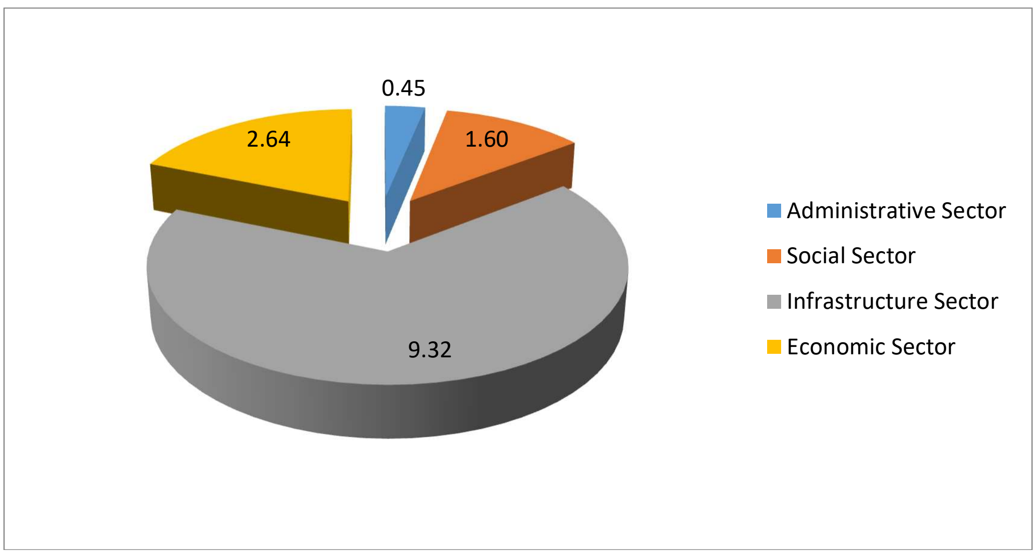

# जीडीपी में विभाग-वार निवेश का प्रमुख योगदान

**ग्राफ: 28**

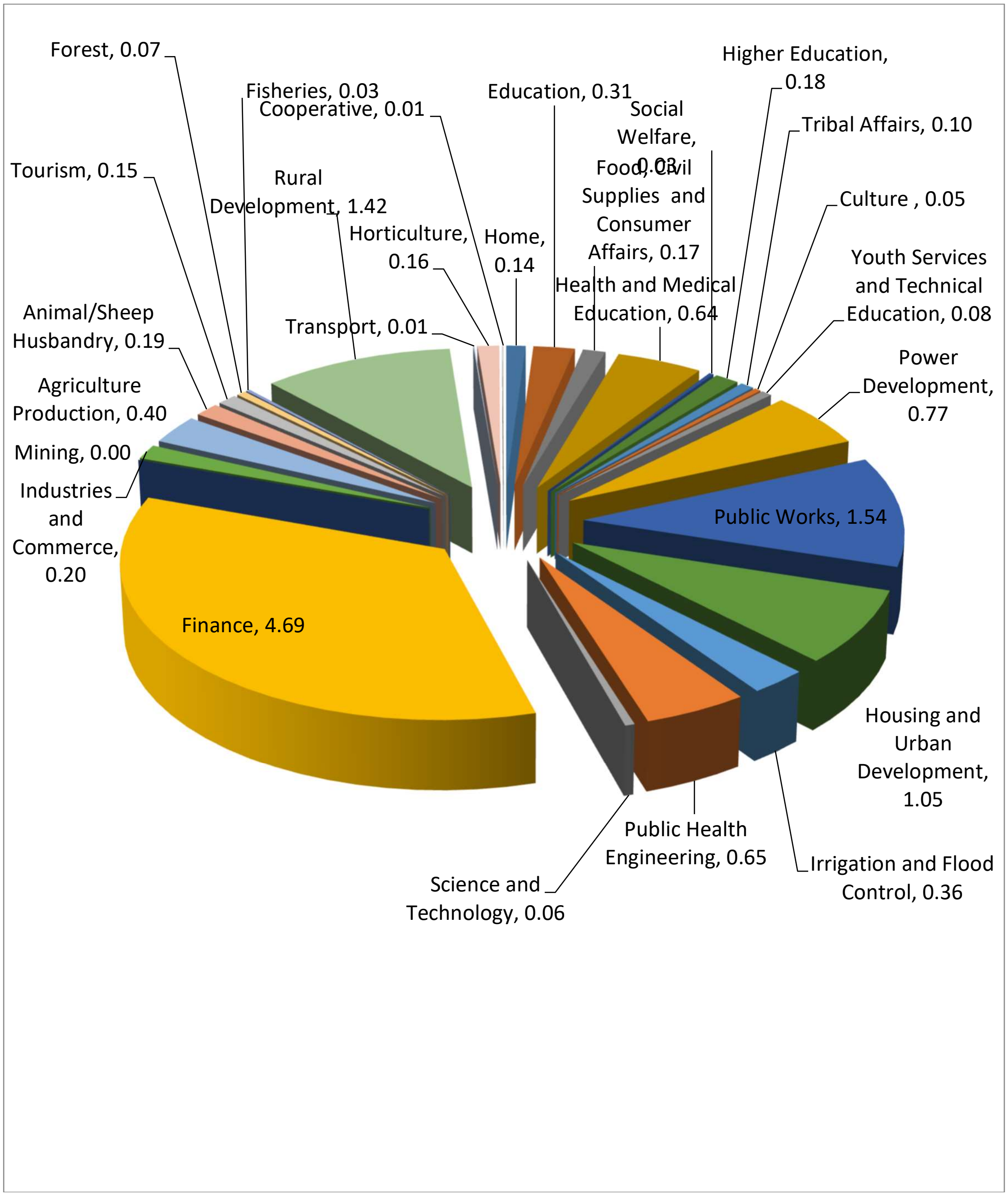

## व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति : राजस्व और पूंजी
### (संशोधित अनुमान 2023-24 से बजट अनुमान 2024-25)

**ग्राफ 29** **%**

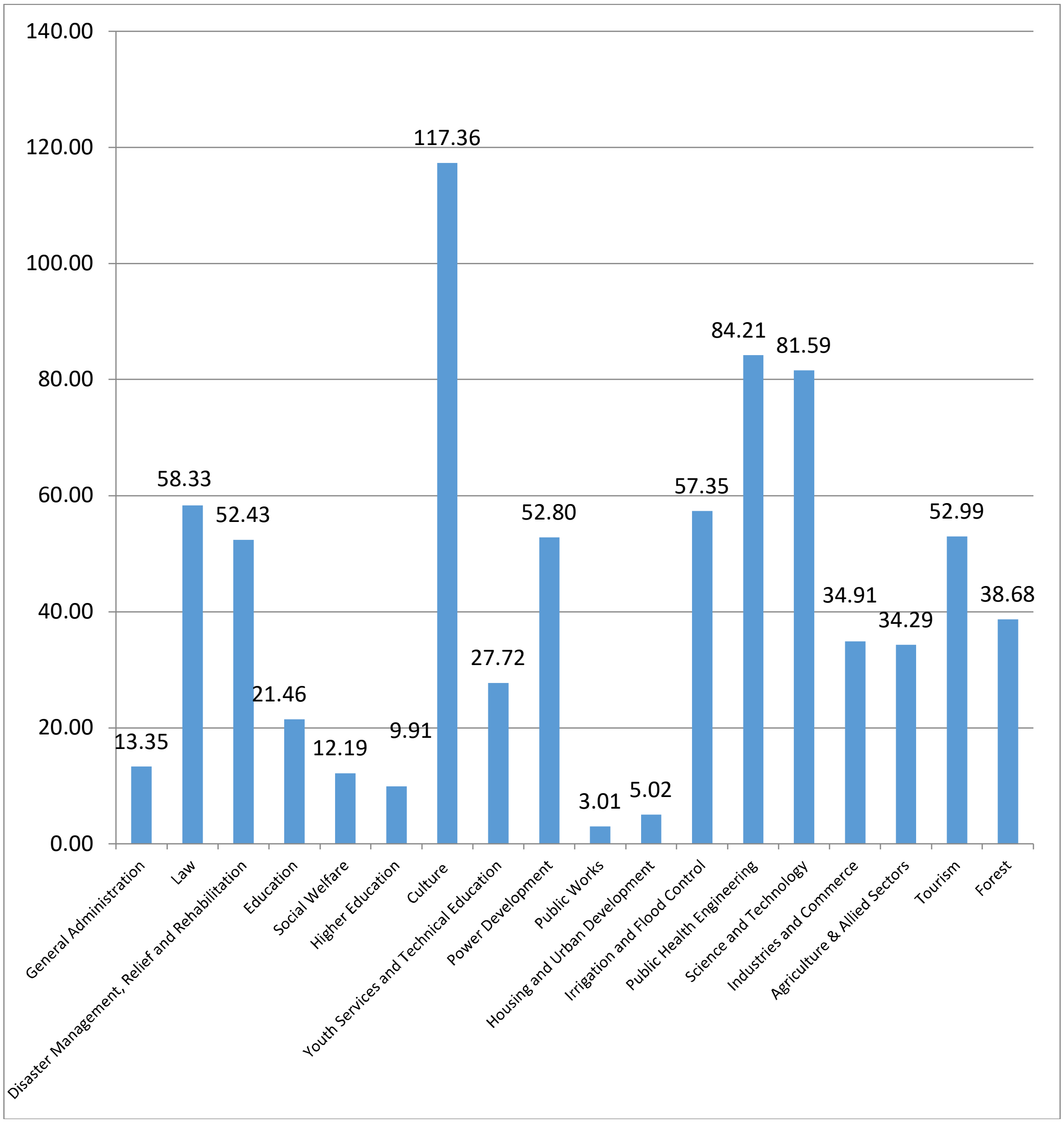

# तालिका 10: पिछले 13 वर्षों में ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | आंतरिक ऋण | केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | कुल लोक ऋण | बीमा और पेंशन निधि | भविष्य निधि | अन्य दायित्व* | कुल देयताएं | मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी | जीएसडीपी की तुलना में कुल देयता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | आधार वर्ष 2004-05 | |
| 2010-11 | *16535 | 2032 | 18567 | 358 | 6291 | 4756 | 29972 | 58073 | 52 |
| | | | | | | | | आधार वर्ष 2011-12 | |
| 2011-12 | 20789 | 1903 | 22692 | 384 | 8335 | 4845 | 36256 | 77945 | 47 |
| 2012-13 | 22796 | 1839 | 24635 | 454 | 9954 | 5205 | 40248 | 86537 | 47 |
| 2013-14 | 24715 | 1775 | 26490 | 505 | 11893 | 5758 | 44646 | 97400 | 46 |
| 2014-15 | 26525 | 1675 | 28200 | 602 | 14028 | 5484 | 48314 | 98367 | 49 |
| 2015-16 | 30452 | 1579 | 32031 | 671 | 16846 | 5798 | 55346 | 117168 | 47 |
| 2016-17 | 34018 | 1489 | 35507 | 775 | 18588 | 5803 | 60673 | 124848 | 49 |
| 2017-18 | 37418 | 1405 | 38823 | 909 | 20010 | 8462 | 68204 | 139709 | 49 |
| 2018-19 | 42222 | 1292 | 43514 | 974 | 25233 | 9340 | 79061 | 159859 | 49 |
| 2019-20 | 45465 | 1237 | 46702 | 1006 | 26156 | 9709 | 83573 | 164103 | 51 |
| 2020-21 | 52469 | 1302 | 53771 | 1085 | 27222 | 10875 | 92953 | 167652 | 55 |
| 2021-22 | 61212 | 1183 | 62395 | 1191 | 26521 | 11355 | 101462 | 199917 | 51 |
| 2022-23 | 68786 | 831 | 69617 | 1331 | 28275 | 13574 | 112797 | 227927 | 49 |

*** ओवर ड्राफ्ट में कमी के लिए 1300 करोड़ रुपये का ऋण शामिल नहीं है।**

## ऋण/जीएसडीपी अनुपात

**ग्राफ: 30**

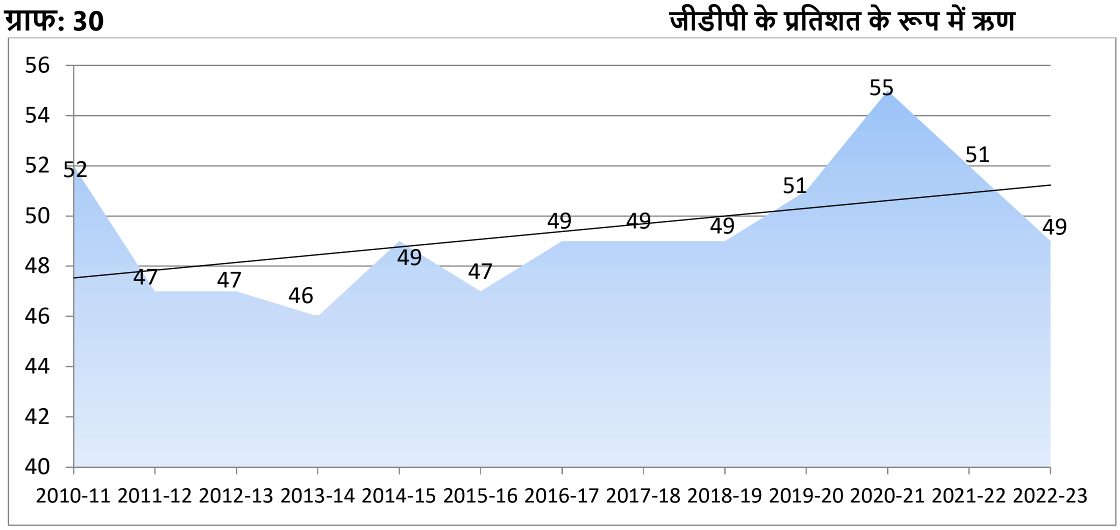

## बजट : विभिन्न घटक

बजट के तीन भाग हैं :

1. समेकित निधि
2. लोक लेखा
3. आकस्मिक निधि

समेकित निधि सभी 'सामान्य' बजट लेन-देनों के लिए श्रोत है, चाहे ये लेन-देन पूंजी, राजस्व अथवा ऋण की प्रकृति के हों। कर और कर-भिन्न राजस्व को समेकित निधि में दर्ज किया जाता है तथा समेकित निधि से वहन किए जाने वाला कोई व्यय विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 'प्रभारित' प्रकृतिके व्ययों को भी समेकित निधि से वहन किया जाता है।

समेकित निधि के भी दो भाग होते हैं :

a) राजस्व लेखा ; और
b) पूंजीलेखा।

राजस्व लेखे में वेतन, मजदूरी, रख-रखाव और मरम्मत, टेलीफोन व्यय, दिन-प्रतिदिन के कार्यालय से संबंधित व्यय तथा अन्य ऊपरी व्ययों जैसे रूटीन प्रशासन के संबंध में होने वाले व्यय शामिल होते हैं। परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय, जिनमें अधिकांश (किंतु सभी नहीं) योजनागत व्यय शामिल होता है, पूंजीलेखे में कवर होता है।

राजस्व प्राप्तियां वे समस्त आय होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त योजनाओं के वित्तपोषण तथा योजना-भिन्न अनुदानों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

पूंजीप्राप्तियों में आंतरिक ऋण, केंद्र से प्राप्त ऋण और निगमों, सहकारी समितियों आदि को अग्रिम रूप में दिए गए अपने स्वयं के ऋणों की वसूली शामिल होती है तथा इन्हें पूंजीलेखे में दर्ज किया जाता है। पूंजीलेखे के परिव्यय भाग में अपने स्वयं के निवेश परिव्यय और संवितरणों के सदृश्य व्यय होते हैं, जिनमें लोक ऋण की अदायगी तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं। इस प्रकार समेकित निधि के पूंजीऔर ऋण दोनों भाग पूंजीबजट के अंतर्गत आते हैं।

लोक-लेखा में वे निधियां शामिल होती हैं जिनका सरकार से संबंध नहीं है किंतु जिन्हें यह अन्य संस्थाओं के लिए विश्वास के रूप में रखती है। इसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित एवं मूल्यह्रास निधि, नगर निगमों से प्राप्त जमा, पेंशन निधि आदि शामिल होंगे। इसे सही रूप में ऐसी निधि कहा जा सकता है जिनके लिए यह बैंकर के रूप में कार्य करता है।

आकस्मिक निधि अपने नाम के अनुसार आकस्मिक प्रयोग के लिए निधि होती है। इसे बजट में सामान्यत जराक्रांत राशियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों के लिए शामिल किया जाता है। आकस्मिक निधि से व्यय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जा सकता है और अत: इसमें यह फायदा है कि बजट प्रक्रिया तथा विधायी अनुमोदन से छूट मिल जाती है; तथापि इस प्रकार हुए व्यय के लिए बाद में विधानमंडल की मोहर लगवाना अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि की मौद्रिक सीमा में बजट प्रक्रिया के माध्यम से कुछ वर्षों बाद वृद्धि की जाती है।

**परिभाषाएं :-**

1. **राजस्व प्राप्तियां** वे सभी अदायगियां होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के राजस्व (कर और कर-भिन्न), केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र सरकार से सांवधिक और गैर सांवधिक अनुदान शामिल होते हैं। इनमें ब्याज तथा सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश भी शामिल होता है।

2. **राजस्व व्यय** में वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज के भुगतान, रख-रखाव और मरम्मत जैसे सभी रूटीन प्रकार के प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें किराये के भुगतान, कर और अन्य स्थापना संबंधी व्यय जैसे ऊपरी खर्चे भी शामिल होते हैं।

3. **पूंजीप्राप्तियों** में बाजार से लिए गए ऋण, आरबीआई और अन्य संस्थाओं से ली गई उधार राशियां, एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्तियां और अपने स्वयं के ऋणों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल होती है।

4. **पूंजीव्यय** परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होता है। यह भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य सभी भौतिक अवसंरचना जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर निवेश परिव्यय के सुदृश होता है। ऐसे संवितरणों, जिनमें लोक ऋण तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम की अदायगी शामिल होती है, को भी पूंजीव्यय के रूप में लिया जाता है।

5. **विविध पूंजी**प्राप्तियों को गैर ऋण पूंजीप्राप्तियों के रूप में माना जाता है।

6. **प्राथमिक घाटा** वह राजकोषीय घाटा होता है जो राजस्व घटक के अंतर्गत ब्याज के भुगतान तथा ऋण की अदायगी का निवल होता है।

7. **राजस्व घाटा**, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

8. **बजट घाटा** कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है तथा मौद्रीकरण की अनुपस्थिति में इसे जीरो होना होता है। मोनेटाईजेशन रूट तक सरकार की कोई पहुंच नहीं होती है। इनके मामले में बजट घाटा जीरो होना चाहिए।

9. **राजकोषीय घाटा**, कुल व्यय के पुनर्भुगतान को छोड़कर और राजस्व प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के बीच का अंतर होता है।

10. **वित्त विधेयक** में नए कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे में आशोधन अथवा मौजूदा कर ढांचे को विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित अवधि के बाद जारी रखे जाने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं।

PRINTED AT RANBIR GOVERNMENT PRESS, JAMMU